न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2022/22 (पुराना वाद सं. 335/2008)

1. श्रीमती दांखा देवी पत्नी स्व0 रूघनाथ (मृतक दौराने दावा)
2. जगदीश पुत्र स्व0 रूघनाथ (मृतक) जरिये कायम मुकाम
   2/1 प्रेम देवी पत्नी जगदीश
   2/2 धीरज पुत्र जगदीश
   2/3 विनोद पुत्र जगदीश
   2/4 ममता पुत्री जगदीश
3. प्रभूदयाल पुत्र रूघनाथ
4. छुट्टन पुत्र रूघनाथ

   समस्त जातियान माली, निवासीयान ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– वादीगण –

बनाम

1. धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रूगनाथ, जाति–माली, निवासी, ए/50, गोलीमार गार्डन, सहकार मार्ग, तहसील जयपुर, जिला जयपुर राजस्थान (मृतक दौराने वाद)।
   1/1 श्रीमती प्रेमलता सिंह पत्नि स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह
   1/2 प्रीति सिंह पुत्री स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह
   1/3 स्वाती सिंह पुत्री स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह
   1/4 यथार्थ सिंह पुत्र स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह

   समस्त जाति–माली, निवासी ए–50, गोली मार गार्डन, सहकार मार्ग, तहसील जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।

2. जीवराज पुत्र श्री रूगनाथ, जाति माली, निवासी टोंक रोड, खण्डाका हॉस्पिटल नियम साईबाबा के मंदिर के पीछे, तहसील व जिला जयपुर।(नाम हजफ)

[illegible] जयपुर।

3. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तह[illegible] मंदिर के सामने, जयपुर।
4 उपायुक्त जॉन सी–2, जय[illegible] विकास प्राधिकर[illegible] के सामने जयपुर।
5 सचिव जयपुर विकास प्राधि[illegible] जयपुर [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि साबिक खसरा नंबर 1405 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 406 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 407 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 442 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 443 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 445 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 446 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 449 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 450 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 451 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, स्थित ग्राम खोह नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान वाके है। उक्त साबिका खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर 474 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 475 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 407 मि. रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 473 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 472/4638 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 472 मि0 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 478 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 471 मि0 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 471 मि. रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 472 मि. रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 471 मि. रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479/4516 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479 मि. रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 480 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल रकबा 2.67 हैक्टेयर कायम किये गये। खसरा नंबर हाल 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल 1.39 हैक्टेयर जिसे इस वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि कह कर सम्बोधित किया गया हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है। भूमि विवादग्रस्त वादी संख्या 1 के ससुर साहब एवं वादी संख्या 2 से 4 के दादाजी नारायण के खातेदारी की भूमि थी। पक्षकारान् आपस में भाईबंध है, जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है:—

हुक्माराम
↓
नारायण
↓
रूगनाथ — भौंरीलाल (लाऔलाद फोत)
↓
श्रीमती दाखां देवी — जगदीश — … — छुट्टन लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के पिता एवं पति स्व0 श्री रूगनाथ के … पत्नी श्रीमती गुलाब देवी, श्रीमती गुलाब देवी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 4 पैदा हुए। रूगनाथ ने वादी संख्या 1 से आज से करीब 50 वर्ष पूर्व नाता किया था। रूगनाथ की मृत्यु अर्सा करीब 15–16 पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में बडा एवं कर्ता

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खानदान था। उसने वादीगण की नाबालिगी का फायदा उठाकर वर्ष 1968 में विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 471 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 472 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 478 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 479/4516 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, तहसील सांगानेर की खातेदारी अपने नाम गलत रूप से दर्ज करा ली। जिसका की इस वादपत्र में विवाद है। पक्षकारानृ वादीगण संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य रूगनाथ के जीवनकाल में ग्राम के पांच मौतबिरान व्यक्तियों के सामने यह जुबानी पारिवारिक समझौता हो गया था कि भूमि विवादग्रस्त वादीगण के कब्जे कास्त एवं खातेदारी की रहेगी और किशनपोल बाजार में टिक्की वालों के चौक में स्थित मकान नं. 443 एवं गोपाल जी का रास्ता, जयपुर गोपाल जी के मंदिर के सामने स्थित एक दुकान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जे में रहने का समझौता किया। उक्त पारिवारिक समझौते के आधार पर वादीगण ग्राम खोनागोरियान में स्थित सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 टिक्की वालो के चौक में स्थित मकान पर काबिज होकर निवास करते आ रहे है एवं दुकान का उपयाग व उपभोग करते आ रहे है। ग्राम खोनागोरियान में स्थित सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व संबंध नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है एवं वादीगण संख्या 2 लगायत 4 की नाबालिगी का फायदा उठाकर भूमि विवादग्रस्त खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि गलत रूप से अपने नाम दर्ज करा ली। उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाये जाने बाबत् वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 को कहा। प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो हॉ–हू करता रहा एवं टालम टोल करता रहा तथा दिनांक 30.05.2002 को खातेदारी दुरूस्त कराने से प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्ट रूप से इंकार हो गया। इस कारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व यह दावा घोषणा व दुरूस्ती का किया जाना आवश्यकीय हुआ। दिनांक 30.05.2002 को ही प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ मौके पर आया एवं लालाराम मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा व गोपाल लाल मीणा पुत्र सोहन लाल मीणा निवासी खोनागोरियान के सामने वादीया को यह स्पष्ट धमकी दी कि मैं (प्रतिवादी संख्या 1) विवादग्रस्त भूमि [illegible] नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516, कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाकै ग्राम [illegible]रियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर की धारा 90 बी, राजस्थान काश्तकारी [illegible]म 1955 की कार्यवाही कराउंगा एवं प्रतिवादी संख्या 4 के कर्मचारियों ने भी वादिया को स्पष्ट धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 4 धारा 90–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही करेगा। इस

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा वादीगण को दिनांक 30.05.2002 को धमकी देने से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद हेतुक उत्पन्न हुआ एवं वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस प्रकार डिक्री किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को गलत रूप से जो खातेदारी में दर्ज करा ली है, उसे निरस्त कर उक्त भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वो विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावें और न ही वादीगण द्वारा उक्त भूमि में निर्मित मकानात वगैरह से वादीगण को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करें और न ही विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर के किसी भी भू-भाग को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरण नही करें एवं प्रतिवादी संख्या 5 जयपुर विकास प्राधिकरण उपायुक्त जोन सी-2, जयपुर विकास प्राधिकरण व प्रतिवादी संख्या 5, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वो विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर में धारा 90-बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करें, न ही विवादित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का पट्टा इत्यादि वादीगण के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को नहीं देवें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब दावा तथा दस्तावेजात सूची के साथ दस्तोवज नकल खतौनी बन्दोबस्त जुलाई 1989 से 2022 तक बाबत् खसरा नंबर 253, नकल खसरा गिरदावरी सम्[illegible] 2031, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 35, नकल जमाबंदी सम्वत् [illegible] (आधार वर्ष की), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2058, प्रमाणित फोटोप्रति विक्रयपत्र दिनांक 05.04.69, नकल ढाल-बांछ 1969 से 2002 तक पेश किये जो शामिल पत्रावली है। जवाब दावे में अंकित है कि - वादीगण संख्या 2 व 3 राजकीय कर्मचारी है जबकि वादिया संख्या 1 श्रीमती दांखा एक बुजुर्ग गृहणी है तथा वादी संख्या 4 छुट्टन लाल जमीनों के खरीद

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फरोख्त व दलाली का काम करता है। इस प्रकार वादीगण का यह कथन कि वे काश्तकार पेशा है, सही नहीं है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर भूमि विवादग्रस्त है, कतई गलत व स्वीकार नहीं है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की है जिस पर वह बहैसियत खातेदार व मालिक अर्से दराज से काबिज है। भूमि नया खसरा नंबर 471 (पुराना खसरा नंबर 442), भूमि खसरा नंबर 472 (पुराना खसरा नंबर 446), भूमि खसरा नंबर 477 (पुराना खसरा नंबर 445), भूमि खसरा नंबर 478 (पुराना खसा नंबर 443) व भूमि खसरा नंबर 479/4516 (पुराना खसा नंबर 449) व भूमि खसरा नंबर 475 (पुराना खसरा नंबर 406) का आधा भाग रघुनाथ पुत्र श्री नारायण की खातेदारी में थी जिन्हें उसने बहैसियतखातेदार जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1969 प्रतिवादी संख्या 1 धीरेन्द्र सिंह के नाम मूल्यवान प्रतिफल के एवज में करा दिया व प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा भी करा दिया। तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त भूमि खसरान् पर बहैसियत खातेदार व मालिक काबिज है। वादीगण का यह कथन सर्वथा मिथ्या है कि वादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य जुबानी परिवारिक समझौता स्व0 रघुनाथ के जीवनकाल में हुआ था कि उपरोक्त भूमि खसरान् प्रतिवादी संख्या 1 अकेले की खातेदारी व मालिकाना हक की है जिसको उसने श्री रघुनाथ से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद की है। वादीगण ने जानबूझकर प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निष्पादित किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र को छिपाया है और मनगढंत पारिवारिक समझौते के माध्यम से उक्त भूमि खसरान् पर अपना मालिकाना हक दिखाना चाहते है। जहाँ तक किशनपोल बाजार टिक्कीवालों के चौक में स्थित मकान नंबर 443 का प्रश्न है, उक्त मकान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की जन्मदात्री माता श्रीमती गुलाब देवी का स्त्रीधन था जिसे उसके माता पिता ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बहक गुलाब देवी खरीदा था। श्रीमती गुलाब देवी के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा कोई जायन्दा पुत्र न होने के कारण वह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से बहुत स्नेह रखती थी व अपने माता पिता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ उक्त मकान में रहती थी। वादीगण भूमि खसरान् पर जो वर्तमान वादपत्र में विवादग्रस्त बताये गये है कभी बहैसियत खातेदार काबिज नहीं रहे है और न वर्तमान में काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 अकेला उक्त भ्भूमि खसरान् का खातेदार मालिक है व काबिज है और सरकारी लगान उसी के नाम से जमा कराया जाता है। जवाब के बयान मजीद में अंकित है कि भूमि खसरान् पुराना नंबर 442, 443, 445, 446, 449 व खसरा [illegible] रिकॉर्डेड खातेदार श्री रघुनाथ पुत्र नारायण माली था। उक्त [illegible] 445, 449 व 446 की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नंबर 406 [illegible] श्री रघुनाथ खातेदार ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1969 प्रतिवा[illegible] संख्या 1 धीरेन्द्र सिंह को विक्रय कर दी और विक्रय राशि प्राप्त कर क्रेता का भौतिक कब्जा करा दिया। तब से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

ही प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर बहैसितय खातेदार मालिक काबिज चला आ रहा है व रेवेन्यु रिकॉर्ड में भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त भूमि खसरान् का खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण ने जानते हुए भी इन तथ्यों को छिपाया है। वादीगण श्री रघुनाथ द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी संख्या 1 को निरस्त कराने या अवैध घोषित कराने की कोई सहायता अपने वाद पत्र में नहीं चाही है और जब तक उक्त विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक वादी कोई सहायता अपने हक में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विक्रय पत्र को निरस्त करने की न तो सहायत वर्तमान वाद पत्र में की गई है और न वर्तमान न्यायालय को इस संबंध में वादपत्र सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। बेचान निरस्त करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। अतः इस आधार पर भी वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। साबिका खातेदार नारायण के दो पुत्र भौरी लाल व रघुनाथ थे। श्री भौरीलाल का विवाह श्रीमती गणेशी देवी से हुआ और रघुनाथ का विवाह श्रीमती गुलाब देवी से हुआ। भौरी लाल–गणेशी देवी के कोई सन्तान नहीं थी जबकि श्री रघुनाथ–गुलाब देवी के दो पुत्र धीरेन्द्र सिंह व जीवराज व तीन पुत्रियां निर्मला देवी, तुलसी देवी उर्फ उषा व रमा देवी उत्पन्न हुये थे। भौरी लाल व गणेशी देवी के कोई संतान नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को उन्होने अपने जीवनकाल में ही गोद हिन्दू रस्म रिवाजों के अनुसार लिया था और गोद लेने की तमाम रस्म जयपुर में अपने भाई रघुनाथ के मकान पर सन् 1945 में की गई थी जहॉ पर भौरी लाल अपना इलाज कराने हेतु रह रहा था। उस समय रघुनाथ किशनपोल बाजार टिक्कीवालों के रास्ते में रामदेव गुर्जर के मकान में किराये पर रह रहे थे। श्री रघुनाथ व उनकी विवाहित पत्नि श्रीमती गुलाब देवी ने गोद देने की रस्म पूरी की थी और प्रतिवादी संख्या 1 धीरेन्द्र सिंह को भौरीलाल की गौद में बैठा कर गोद देने का ऐलान किया था। श्री भौरीलाल व विवाहित पत्नी गणेशी देवी ने प्रतिवादी संख्या 1 को गोद लेना स्वीकार किया। उक्त गोद लेने की रश्म के समय रिश्तेदार व मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे व गोद देने व लेने के अलावा गणेश पूजन व मौजूद व्यक्तियों में गुड का वितरण किया गया था। तत्पश्चात् श्री भौरी लाल की मृत्यु के 12 वें दिन भौरी लाल के गांव में उसके निवास पर बहैसियत पुत्र पगड़ी बंधवाने की रस्म रिश्तेदारों व गांव वालों की मौजूदगी मे हुई थी। श्रीमती गणेशी देवी अपने पति भौरी लाल के जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद खो–नागोरियान में अपने पुश्तैनी मकान में रहती रही व समस्त जमीन की व्यवस्था व देखरेख भी किया करती थी। श्रीमती गणेशी देवी की मृत्यु सन 1998 में हुई [illegible]
अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का [illegible] निरस्त फरमाया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 को विशेष हर्जा व खर्चा दिलवाया [illegible]
विचाराधीन वाद में वादीगण अनुपस्थित रहने पर वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। वाद में वादीगण द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 40/2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 21.02.2022 स्वीकार किये जाने पर पत्रावली पुनः दर्ज की गई। वादीगण द्वारा वाद में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान् 1/1 ता 1/4 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/3 व 1/4 की ओर से श्री धीरज कुमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

विचाराधीन वाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि– वादीगण ने अनुतोष के मद (क) में घोषणा बाबत् अनुतोष चाहा है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 बाबत डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसके अलावा मद (ख) में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। पक्षकारान् में मूल वादी श्रीमती दाखा देवी, श्रीमती रामा देवी व जगदीश की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 श्री धीरेन्द्र सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। वाद के वर्तमान पक्षकारान् में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 जीवराज पुत्र श्री रूघनाथ के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा है, इसलिए वादीगण की प्रार्थना पर प्रतिवादी संख्या–2 जीवराज पुत्र श्री रूघनाथ को माननीय न्यायालय द्वारा डीलीट कर दिया गया है। वाद के वर्तमान पक्षकारान् में आपसी समझाईश से लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा के आधार पर वाद के पक्षकारान् प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। चूंकि, वाद में मुख्य अनुतोष घोषणा का है, जिसे वाद के पक्षकारान् (वादीगण एवम् प्रतिवादीगण) राजीनामा में तय पाई गई सहमति के आधार पर निम्नानुसार डिक्री कराने को सहमत है कि, वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाकै ग्राम खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में 1.08 हैक्टेयर अविभाजित भूमि का काश्तकार वादीगण में वादी संख्या 2/2 धीरज सैनी पुत्र स्व0 श्री जगदीश, वादी संख्या–3 प्रभुदयाल पुत्र स्व0 श्री रूघनाथ, वादी संख्या–4 छुट्टन लाल पुत्र स्व0 श्री रूघनाथ को घोषित किया जावे तथा शेष अविभाजित भूमि 0.31 [illegible] प्रेम लता सिंह पत्नी स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह की खातेदारी में दर्ज [illegible] वादपत्र के अनुतोष मद (ख), (ग), (घ) को वादीगण नोट [illegible] करते हैं। पक्षकारान् [illegible] उपरोक्त राजीनामा अपनी मर्जी से स्वेच्छाया एवं स्वतंत्र सहमति से बिना [illegible] दबाव के किया है, जिससे पीढी दर पीढी मुकदमेबाजी का अन्त हो सके। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस राजीनामे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

में पक्षकारान् के मध्य तय पाई गई सहमति के आधार पर वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि, राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की कृपा करें, तथा राजीनामा को अभिलेख पर रखने की कृपा करें। तथा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उभयपक्षकारान् से राजीनामा तस्दीक करवाया गया। वादीगण की पहचान वकील वादीगण द्वारा की गई। प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई।

प्रस्तुत राजीनामें पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बहस वकील उभयपक्ष की सुनी जाकर राजीनामें का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण द्वारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या एक से वादग्रस्त अराजी में अपने हिस्से की घोषणा चाही है और जब प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 मुताबिक राजीनामा वाद के निस्तारण हेतु सहमत है तो उभयपक्षकरान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 471, 472, 477, 478, 479/4516 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर वाके ग्राम खोनागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में 1.08 हैक्टेयर अविभाजित भूमि का काश्तकार वादीगण में वादी संख्या 2/2 धीरज सैनी पुत्र स्व0 श्री जगदीश, वादी संख्या-3 प्रभुदयाल पुत्र स्व0 श्री रूघनाथ, वादी संख्या-4 छुट्टन लाल पुत्र स्व0 श्री रूघनाथ को घोषित किया जाता है तथा शेष अविभाजित भूमि 0.31 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1/1 श्रीमती प्रेम लता सिंह पत्नी स्व0 श्री धीरेन्द्र सिंह को घोषित किया जाता है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner